26/6/19

वकील प्रार्थीगण उपास्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के विरूद्ध
दिनांक 22-01-2019 को एकपक्षीय
कार्यवाही हो चुकी हैं। अतः वकील
प्रार्थीगण सुरेश मेहरा की एकपक्षीय बहस

सहायक कलेक्टर
रानी

Scanned by CamScanner

सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा गांव भगवानपुरा के ख. न. 458 रकबा 2.94 हेक्टेयर एवं खसरा न 374/628 रकबा 0.77 हेक्टेयर भूमि मे 1/3 हिस्सा एवं 456 रकबा 0.01 हेक्टेयर, ख. न. 457 मे 1/4 हिस्सा प्रार्थी के पिता गेनिया उर्फ गेनाराम पुत्र वरदाजी जाति मेगवंशी का था। गेनिया उर्फ गेनाराम की मृत्यु दिनांक 9-4-2000 को हो चुकी है, गेनाराम की मृत्यु के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा - 8 के अनुसार प्रथम वर्ग के वारिशान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण है लेकिन फोतेदगी म्यूटेशन मे प्रार्थी का नाम दर्ज नही किया गया है जबकि विधिनुसार प्रार्थीगण का भी हक - हिस्सा बनता है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि मे अपना नाम गलत रूपेण दर्ज करवा कर वादग्रस्त भूमि को खुर्द - बुर्द व हस्तान्तरण करने पर आमादा है, इस तरह की धमकिया अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को दे रहे है। विधिनुसार अप्रार्थीगण को अपने गलत नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण करने का अधिकार नही है

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर अहकाम तामिल
	प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि की रेकर्ड को एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। पत्रावली का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी की बहस पर ध्यान किया वादग्रस्त अराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता/ससूर की पुश्तैनी है जिसमे प्रार्थीगण का हक-हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 के तहत बनता है, इस कारण से प्रथम द्रष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे है, दौराने वाद वादग्रस्त अराजी अप्रार्थीगण खुर्द-बुर्द या हस्तान्तरित करते है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी व वाद बाहुल्यता बढ़ेगी जिस कारण से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के पक्ष मे है। अप्रार्थीगण दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण इत्यादि करते है प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे किया जाना संभव नही है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष मे होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र	

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
स्वीकार किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक अपार्थीगण रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद से सम्बन्ध है। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी	

Scanned by CamScanner